भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4646

दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

बाल विवाह

4646. **श्रीमती माला राय:**
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दर्ज की गई प्राथमिकियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत दोषसिद्धि का प्रतिशत कितना है;
(ख) मंत्रालय के वित्त वर्ष 2025-26 हेतु बजट में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के माध्यम से आज की तिथि तक बाल विवाह के कितने मामले सामने आए हैं और सामने आए इन मामलों की प्रतिक्रिया में क्या कार्रवाई की जा रही है; और
(घ) देश भर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की वर्तमान संख्या कितनी है और इनमें राज्य-वार कितनी रिक्तियां हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के तहत पंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या संबंधी आंकड़े संकलित करता है और अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्ट

वर्ष 2022 तक अपराध शीर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्ध है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 तथा 2022 के दौरान पीसीएमए के तहत पंजीकृत मामलों की संख्या क्रमशः 501, 523, 785, 1050 तथा 1002 है। वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 तथा 2022 के दौरान पीसीएमए के तहत दोषसिद्धि का प्रतिशत क्रमशः 23.8, 12.0, 16.7, 9.7 तथा 11.0 प्रतिशत है। वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 तथा 2022 के दौरान पीसीएमए के तहत पंजीकृत बाल विवाह मामलों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा, बाल विवाह पर रोक सहित महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच करने और अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है; वे ऐसे अपराधों/आपराधिक कृत्यों से निपटने में सक्षम हैं।

(ख) और (ग): सरकार द्वारा 27 नवंबर 2024 को शुरू किए गए 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान में देश को बाल विवाह मुक्त बनाने पर जोर दिया गया है। 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण के माध्यम से 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए बालिकाओं और महिलाओं के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्यताओं में से एक है। 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान/आईईसी के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)' और मिशन शक्ति के 'महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)' घटकों के तहत पहले से ही उपलब्ध है। 24.03.2025 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस पोर्टल पर कुल 21 शिकायतें दर्ज हैं। इस पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए 3 मामलों का समाधान किया जा चुका है।

(घ): बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ) संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करते हैं। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन उनके अधीन है। संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीएमपीओ के आंकड़े **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के अनुसार 24.03.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपडेट किए गए सीएमपीओ के आंकड़े **अनुलग्नक III** में दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक।

'बाल विवाह' के संबंध में श्रीमती माला रॉय और श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान पीसीएमए, 2006 के तहत दोषसिद्धि के प्रतिशत के साथ पंजीकृत बाल विवाह का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
		सीआर	सीआर	सीआर	सीआर	सीआर
1	आंध्र प्रदेश	14	4	32	19	26
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	88	115	138	155	163
4	बिहार	35	8	5	11	13
5	छत्तीसगढ़	2	0	1	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	8	20	15	12	9
8	हरियाणा	21	20	33	33	37
9	हिमाचल प्रदेश	9	4	5	5	4
10	झारखंड	7	3	3	4	5
11	कर्नाटक	73	111	184	273	215
12	केरल	18	7	8	12	6
13	मध्य प्रदेश	3	4	5	4	7
14	महाराष्ट्र	13	20	50	82	99
15	मणिपुर	0	0	0	2	1
16	मेघालय	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	22	22	24	64	46
20	पंजाब	6	6	13	8	4
21	राजस्थान	11	19	3	11	10
22	सिक्किम	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	67	46	77	169	155
24	तेलंगाना	24	35	60	57	53
25	त्रिपुरा	1	0	4	1	2
26	उत्तर प्रदेश	4	4	12	6	17
27	उत्तराखंड	2	2	9	12	6

28	पश्चिम बंगाल	70	68	98	105	121
	राज्यों का योग	**498**	**518**	**779**	**1045**	**999**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	2	1	1	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव+	0	1	0	0	0
32	दिल्ली	1	2	4	2	1
33	जम्मू एवं कश्मीर*	0	1	1	2	2
34	लद्दाख			0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	0	0	0	1	0
	संघ राज्य क्षेत्रों का योग	**3**	**5**	**6**	**5**	**3**
	कुल (अखिल भारतीय)	**501**	**523**	**785**	**1050**	**1002**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक II

'बाल विवाह' के संबंध में श्रीमती माला रॉय और श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 21.09.2023 तक रिपोर्ट की गई)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	सीएमपीओ की वर्तमान संख्या	स्तर जिस तक सीएमपीओ नामित हैं
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	06	5 बाल विकास परियोजना अधिकारी और 1 अधीक्षक (ओएच)
2.	आंध्र प्रदेश (कैलेंडर वर्ष)	26	16590	ग्राम/वार्ड स्तर से जिला स्तर तक तथा जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट नामित
3.	असम	35	2002	जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) को सीएमपीओ, पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों को सीएमपीओ तथा छह अनुसूची क्षेत्रों में वीसीडीसी के अंतर्गत लोट मंडलों को सीएमपीओ के रूप में नामित किया गया है।
4.	बिहार (वित्तीय वर्ष)	38	101	सब-डिवीजन
5.	चंडीगढ़	1	3	सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट
6.	छत्तीसगढ़	33	259	जिला/आईसीडीएस परियोजना (ब्लॉक)
7.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	4	मामलतदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट
8.	दिल्ली	11	33	एसडीएम
9.	गुजरात	33	33	राजपत्रित अधिकारी क्लास II
10.	हरियाणा	22	22	जिला स्तर
11.	हिमाचल प्रदेश	12	78	ब्लॉक स्तर
12.	झारखंड	24	6833 (लगभग)	ग्राम पंचायत स्तर (पंचायत सचिव)
13.	कर्नाटक	31	58522	ग्राम पंचायत
14.	केरल	14	258	सूचना प्राप्त नहीं हुई
15.	लद्दाख – संघ राज्य क्षेत्र	2	13	बाल विकास परियोजना अधिकारी सब-डिवीजनल अधिकारी
16.	मध्य प्रदेश	52	1104	जिला कलेक्टर; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत; सब-डिवीजनल अधिकारी, राजस्व (एसडीएम) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद पंचायत; परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
17.	महाराष्ट्र	36	25562	ग्राम पंचायत स्तर तक

18.	मेघालय	12	12	उप आयुक्त
19.	मिजोरम	11	8	सूचना प्राप्त नहीं हुई
20.	नागालैंड	16	11	जिला स्तर – जिला बाल संरक्षण अधिकारी
21.	पुदुच्चेरी	4	4	जिला स्तर
22.	पंजाब	23	102	सीएमपीओ के रूप में नामित सभी सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट
23.	राजस्थान	33	1378	ब्लॉक स्तर
24.	तमिलनाडु	38	39	जिला स्तर
25.	तेलंगाना	33	13759	ग्राम स्तर तक
26.	त्रिपुरा	8	23	एसडीएम
27.	उत्तर प्रदेश	75	75	जिला स्तर
28.	उत्तराखंड	13	715	डीपीओ
29.	पश्चिम बंगाल	23	23	जिला समाज कल्याण अधिकारी

** सीएमपीओ की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है*

अनुलग्नक III

'बाल विवाह' के संबंध में श्रीमती माला रॉय और श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर 24.03.2025 तक अद्यतन की गई)

राज्य का नाम	राज्य सीएमपीओ	जिला सीएमपीओ	ब्लॉक सीएमपीओ	ग्राम पंचायत/वार्ड सीएमपीओ
हिमाचल प्रदेश	1	12	5	0
हरियाणा	1	23	0	0
दिल्ली	1	12	1	1
झारखंड	1	27	20	0
गुजरात	1	33	0	0
कर्नाटक	1	35	2	2
गोवा	1	2	0	0
केरल	1	14	7	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	3	0	0
चंडीगढ़	1	1	0	0
बिहार	1	39	16	0
अरुणाचल प्रदेश	1	30	3	0
असम	1	35	0	0
छत्तीसगढ़	1	33	0	0
आंध्र प्रदेश	1	36	246	80
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	3	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	20	0	0
लद्दाख	1	2	0	0
लक्षद्वीप	1	1	0	0
मध्य प्रदेश	1	63	50	0
महाराष्ट्र	1	36	0	0
मणिपुर	1	16	0	0
मेघालय	1	12	0	0
मिजोरम	1	11	0	0
नागालैंड	1	29	37	0
ओडिशा	1	30	0	0
पुदुचेरी	1	4	0	0
पंजाब	1	34	64	486

राजस्थान	1	56	20	0
सिक्किम	1	11	0	0
तमिलनाडु	1	38	0	0
तेलंगाना	1	33	0	0
त्रिपुरा	1	9	0	0
उत्तराखंड	1	14	16	0
उत्तर प्रदेश	1	75	0	0
पश्चिम बंगाल	1	33	259	0
कुल	**36**	**865**	**746**	**569**

*****